'आप' विधायक के खिलाफ सुनवाई नवंबर में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

अदालत ने आप विधायक सोमदत्त के खिलाफ चल रहे एक मुकदमे की सुनवाई नवंबर में करने का फैसला किया है। गुरुवार को तय हुआ कि अदालत साल 2015 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दंगा करने, गलत तरीके से बचाव करने और एक व्यक्ति से मारपीट करने के मामले में नवंबर में आप विधायक सोमदत्त के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई शुरू करेगी।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रुबी नीरज कुमार ने गुरुवार को इस मामले में शिकायतकर्ता संजीव राणा की गवाही सहित अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को दर्ज करने के लिए दो नवंबर की तारीख मुकर्रर की। अदालत ने इस साल मई में सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक सोमदत्त के खिलाफ आरोप तय किए थे। विधायक ने खुद को निर्दोष बताया था। इस मामले में दोषी पाए जाने पर उनको अधिकतम सात साल कैद की सजा हो सकती है।

बिजली कंपनियों का कर्जा चुकाएंगे उपभोक्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

- विद्युत कंपनियों के 41,419 करोड़ रुपए के कर्जदार हुए उपभोक्ता
- हर नागरिक पर लगभग 20,000 रुपए का कर्जभार देय होगा

केजरीवाल सरकार और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के ढीले रवैये के कारण दिल्ली के विद्युत उपभोक्ता विद्युत कंपनियों के 41,419 करोड़ रुपए के कर्जदार हो गए हैं। हर नागरिक पर लगभग 20,000 रुपए का कर्जभार देय हो चुका है। इस विकट स्थिति के कारण बिजली कंपनियों ने बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी का तानाबाना बुनना शुरू कर दिया है और जल्द ही बिजली कंपनियां अपने प्रयासों में सफल होती आ रही है। डीइआरसी में तीन सदस्यों के साथ पर मात्र एक सदस्य है और वह भी अध्यक्ष का पद भी संभाले हुए हैं। ऐसे में डीइआरसी बिजली कंपनियों पर निगाह रखने में सक्षम नहीं है। दिल्ली सरकार के पास इन कंपनियों पर नकेल कसने के लिए न इच्छाशक्ति है और न समय है।

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि इस वृद्धि की कवायद इस कारण से भी और ज्यादा दुखद है क्योंकि बिजली की लागत में कमी आई है। और उपलब्धता कहीं ज्यादा बढ़ी है। यदि सरकार और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग समय रहते सतकर्ता दिखाता तो इतनी ज्यादा देनदारी नहीं बनती। लेकिन इन दोनों की अकर्मणयता के चलते बिजली कंपनियों का दाम बढ़ाने का खेल सफल होता नजर आ रहा है। विजेंद्र गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली स्टेट इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुच्छेद 6 के अनुसार डिस्कॉम्स के भारी रैग्युलेटरी एसेट्स जमा हो गए हैं जो विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने हैं। बिजली कंपनियों का मानना है कि वे बिजली सप्लाई पर खर्च वहन कर चुकी हैं, लेकिन उपभोक्ताओं से इसकी भरपाई या वसूली अभी तक नहीं हुई है। यह रकम बिजली उपभोक्ताओं से वसूल की जानी है। विपक्ष के नेता ने कहा कि इस मामले में पेच यह है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली विनियामक आयोग का प्रुडेंट चैक्स सिस्टम बहुत कमजोर है। यह दोनों बिजली कंपनियों के दावों को जांचने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

विधायकों के खिलाफ दर्ज कराए जा रहे हैं झूठे मुकदमे : आप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

आम आदमी पार्टी (आप) का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर दिल्ली पुलिस उसके विधायकों के खिलाफ झूठे मुकदमें दायर करनें में लगी है। आप के कार्यालय में हुई प्रेस कांफ्रेंस में पार्टी की वरिष्ठ नेता और पीएसी सदस्य अतिशी मार्लेना ने कहा कि आप के विधायकों के खिलाफ भाजपा के इशारे पर दिल्ली पुलिस की ओर से झूठे मुकदमे करने का सिलसिला लगातार जारी है। जिसमें हाल ही में देवली से उनके विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ एक भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने झूठे आरोप लगाए और पुलिस ने गलत तरीके से आइपीसी की धारा 354 के तहत मुकदमा किया।

इस धारा को कोर्ट ने खारिज कर दिया और एक बार फिर से यह साबित हो गया कि पुलिस का इस्तेमाल उनके खिलाफ राजनीतिक षड़यंत्र के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं बल्कि ये सब उनके अलग-अलग विधायकों के खिलाफ बार-बार किया जाता है।

आप का सवाल है कि प्रकाश और उनके परिवार को जो पीड़ा मिली है उसके लिए अब कौन माफी मांगेगा? आप विधायक के विरुद्ध छेड़छाड़ के लिए झूठी शिकायत दर्ज की गई, क्या इस तरह से विधायक को बदनाम करना उचित था? आप ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से आप के विधायकों के खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं उससे पार्टी कतई झुकने और टूटने वाली नहीं है। आप विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में गलत हलफनामा दर्ज कराया गया जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पिछले महीने जिन 2 लोगों ने विधानसभा में घुसकर सदन को बाधित करने की कोशिश की थी उनको सदन ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए सजा सुनाई थी, इस मामले को लेकर कोर्ट में सजा पाए दोनों लोगों ने आप के 10 विधायकों के खिलाफ पीटने का आरोप लगाते हुए हलफनामा दिया था जिसे कोर्ट ने विचार के लायक भी नहीं समझा।

'कलाम के जन्मदिन को छात्रदिवस घोषित किया जाए'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने डॉ. अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर कहा कि उनका जीवन एक आदर्श जीवन है। एक छोटे से कस्बे के साधनविहीन परिवार में जन्मे डॉ. कलाम ने शिक्षा और संघर्ष के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में एक सुखद और सफल परिवर्तन लाया जा सकता है, इस बात को चरितार्थ किया।

दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा की ओर से नई दिल्ली के सिविक सेंटर में हुए एक सादे समारोह में भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। तिवारी ने कहा कि एक वैज्ञानिक के तौर पर हो या भारत के राष्ट्रपति के कायर्काल हो डॉ. कलाम ने त्याग के भाव से काम किया और अपनी आय को व उपलब्ध सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग हमेशा लोक कल्याण कामों के लिए किया।

आरक्षित श्रेणी की प्रवेश परीक्षा आज से

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

आंबेडकर विश्वविद्यालय आरक्षित वर्ग के छात्रों को दाखिला देने के लिए विशेष अभियान शुरू करेगा। इसके तहत शुक्रवार से दाखिला परीक्षा होगी।

इसके तहत वे छात्र जो अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और शारीरिक रूप से अक्षम वर्ग (पीडब्ल्यूडी) से हैं और जिन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन लिए गए थे। परीक्षा के लिए योग्य होगें। लिखित परीक्षाएं व साक्षात्कार आज और कल होंगे।

30 जुलाई को होंगे फोनरवा चुनाव, दो पैनल मैदान में

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 27 जुलाई।

- इस मर्तबा स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा है अहम
- सुखदेव शर्मा पैनल ने बताई अपनी प्राथमिकताएं

नोएडा में मेयर के समकक्ष माने जाने वाले फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर असोसिएशन (फोनरवा) के चुनाव 30 जुलाई को होंगे। 30 जुलाई को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक सेक्टर-52 स्थित फोनरवा कार्यालय में मतदान होगा। चुनावों में दो पैनल आमने-सामने हैं। फोनरवा की मौजूदा कार्यकारिणी एन पी सिंह की अगुआई में चुनावी मैदान में है। उनके मुकाबले सुखदेव शर्मा के नेतृत्व में पैनल उतरा है। दोनों ही पैनल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि फोनरवा का इस बार का चुनाव स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। कमोबेश दोनों ही पैनलों को स्थानीय और बाहरी समर्थन देने का दावा तो कर रहे हैं लेकिन अंदर खाने लकीरें खींची जा चुकी हैं।

गुरुवार को सुखदेव शर्मा पैनल ने अपने सभी 21 पदों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का परिचय कराया। सेक्टर-27 में हुई प्रेस वार्ता में सुखदेव शर्मा ने 175 सदस्यों में 140 का समर्थन मिलने का दावा किया। अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी करते हुए सुखदेव शर्मा ने बताया कि पैनल के जीतने पर नोएडा की सभी संपत्तियों को फ्री होल्ड कराने, आरडब्लूए को ग्राम पंचायत जैसा अधिकार दिलाने, प्राधिकरण बोर्ड में आरडब्लूए प्रतिनिधि नियुक्त कराने,सौ फीसद गंगाजल की आपूर्ति कराएगा। इसके अलावा प्राधिकरण के खर्च पर सभी सेक्टरों में सुरक्षाकर्मी तैनात कराने, आरडब्लूए पदाधिकारियों के प्राधिकरण में प्रवेश के लिए स्थायी प्रवेश पत्र, पुलिस सत्यापन, व्यापक स्तर पर पौधरोपण कराने और मूल संविधान को लागू कराने का काम करने की घोषणा की है। इस मौके पर मौजूद फोनारवा अध्यक्ष पर कोई काम न करने का आरोप लगाया।

रुचिरा पेपर्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: त्रिलोकपुर रोड़, कला अंब, जिला सिरमौर (हि.प्र.)- 173030
CIN: L21012HP1980PLC004336, www.ruchirapapers.com
शुद्धिपत्र
यह सूचना विज्ञापन के संदर्भ में है, जो कि जनसत्ता समाचार पत्र दिल्ली में 26.07.2017 को प्रकाशित हुआ था, सूचना के अनुआर कंपनी के निर्देशक मंडल की बैठक मंगलवार, 8 अगस्त 2017 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही के लिए अन-ऑडिट वित्तीय परिणामों पर विचार करने और सहमति देने के लिए आयोजित की जाएगी। अन्य सभी विवरण एक समान हैं।
रुचिरा पेपर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
विशव सेठी
कंपनी सचिव
कला-अंब
27.07.2017

'मानसून के दौरान खुले नाले और सीवर, पर गंभीर नहीं सरकार'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

- उपराज्यपाल, मुख्य सचिव और पीडब्लूडी के आला अधिकारियों को लिखा पत्र कहा, जल्द हो कार्रवाई
- महेश गिरी ने कहा, खुले नालों और सीवरों की वजह से यदि जान माल का नुकसान हुआ तो सरकार होगी जिम्मेदार

भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व पूर्वी दिल्ली सांसद महेश गिरी ने खुले नालों को गंभीर विषय बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के तहत पीडब्लूडी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी नालों को ढंककर और दिल्ली जल बोर्ड अपने सीवरों को व्यवस्थित करें। अन्यथा किसी प्रकार यदि जान माल की हानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी विभाग के उच्चअधिकारी और दिल्ली सरकार की होगी।

सांसद गिरी ने बताया कि पीडब्लूडी गंभीरता पूर्वक अपना कार्य नहीं कर रहा है। दिल्ली सरकार को भी इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। दिल्ली सरकार के मुखिया कार्य करने से ज्यादा बातें और खोखले वायदे करने में भरोसा रखते हैं। गिरी ने आरोप लगाया कि सरकार को जनता के हित से कोई सरोकार नहीं है। अभी मानसून का समय है लेकिन नालों की सफाई का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया। पूर्वी दिल्ली के सांसद ने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्य सचिव और पीडब्लूडी विभाग के उच्च अधिकारियों को इस विषय में पत्र भी लिखा है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

जेएनयू ने छात्रों के रोके पंजीकरण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)में छात्रसंघ अध्यक्ष सहित पांच अन्य छात्रों को नए सेमेस्टर में पंजीकरण नहीं मिला है। छात्रसंघ के अध्यक्ष मोहित पांडे के अनुसार आखिरी तिथि पर उन्होंने कुलपति से मिलने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे साढ़े तीन साल की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और इस स्थिति में वे विश्वविद्यालय छोड़ नहीं सकते।

निगम में उठा नालों की सफाई का मुद्दा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आम सभा में गुरुवार को नालों की सफाई का मुद्दा जोर-शोर से उठा। निगम में कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल ने मामला उठाते हुए निगम के साथ-साथ दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), व बाढ़ नियंत्रण विभाग(फल्ड कंट्रोल) की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए।

उन्होंने कहा कि नालों की सफाई जल्द नहीं की गई तो निकट भविष्य में स्थिति खराब हो सकती है। गोयल ने महापौर से गुजारिश की कि दिल्ली को बारिश के पानी से बचाया जाए। मुकेश गोयल ने कहा कि मानसून शुरू हो चुका है बारिश के लिहाज से दिल्ली के लिए अगले दो महीने बड़े संवेदनशील हैं क्योंकि जरा सी बारिश से ही दिल्ली के कई इलाके व सड़को पर जलभराव हो जाता है और ट्रेफिक जाम हो जाता है उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के फल्ड कंट्रोल और पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं जिसके कारण इनके अधीन नालों की सफाई अब तक नहीं हुई है। इन विभागों के पास दिल्ली के बड़े-बड़े नालों की सफाई का जिम्मा है। निगम के अधीन नालों का पानी इन्हीं बड़े नालों में गिरता है लेकिन बड़े नालों की सफाई न होने से निगम नालों का पानी आगे न बह कर वापिस कॉलोनियों में सड़कों, गलियों व नालियों में भर रहा है जिससे मच्छर पनप रहें हैं और जल जनित बिमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है।

LIBERTY
Phone: 28711800/28712998
"Mubarakan"
(Hindi)(U/A)
*ing Arjun Kapoor, Ileana D'Cruz
Show Timing: 12:00pm, 3:15pm, 6:30pm, 9:45pm
Internet booking: www.libertycinema.in
Phone booking No. 39895050

RELIGARE रेलिगेयर एंटरप्राईजेज लिमिटेड
पंजी. कार्या.: 2रा तल, राजलोक बिल्डिंग, 24, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
CIN: L74899DL1984PLC146935
फोन: 91-11-46272400, फैक्स नं. 91-11-46272447
www.religare.com, ई-मेल: investorservices@religare.com
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्‌घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 ("एलओडीआर") के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 47 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, 10 अगस्त, 2017 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 जून, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय स्थितियों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
पुनः, एलओडीआर के विनियमन, 46 के अनुसार उपरोक्त बैठक का विवरण कंपनी की वेबसाईट अर्थात् www.religare.com के साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थात् www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।
रेलिगेयर एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
मोहित माहेश्वरी
कंपनी सचिव
स्थान: नोएडा
तिथि: 28.7.2017

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
स्वास्थ्य विभाग
18वां तल, डॉ.एस.पी.एम. सिविक सेंटर,
मिंटो रोड नई दिल्ली-02
सं.एओ(एच)/एचक्यू/एसडीएमसी/2017/76 दिनांक: 25.07.2017
सार्वजनिक सूचना
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सूचना मिली है कि इंटरनेट पर 'फ्री जॉब एलर्ट 2017' शीर्षक के अंतर्गत मलेरिया बेलदार/क्षेत्र कार्यकर्ता को काम पर रखने के संबंध में नकली विज्ञापन दिया जा रहा है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि द.दि.न.नि. के स्वास्थ्य विभाग में भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के विज्ञापन/सूचना के संबंध में सभी संबंधित केवल द.दि.न.नि. की वेबसाइट mcdonline.gov.in को देखें। अधिक जानकारी के लिए जनता प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, 18वां तल, डॉ. एस.पी.एम. सिविक सेंटर, जे.एल.एन. मार्ग, नई दिल्ली-02 से संपर्क कर सकती है।
प्रशासनिक अधिकारी (पीएच)
दक्षिणी दि.न.नि.
R.O. No. 83/DPI/S/17-18

MARUTI SUZUKI
Way of Life!
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED
Registered Office: Plot No.1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi - 110070
CIN: L34103DL1981PLC011375; Website: www.marutisuzuki.com; E-mail: investor@maruti.co.in; Phone: + 91-11-46781000; Fax: +91-11-46150275/76
₹ in million

Sl.No.	Particulars	Quarter ended 30th June 2017	Quarter ended 31st March 2017	Quarter ended 30th June 2016	Year ended 31st March 2017
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	197,774	207,512	169,960	772,662
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	22,987	22,850	20,468	99,603
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)	22,987	22,850	20,468	99,603
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	15,564	17,105	14,909	73,502
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	16,281	18,609	14,963	75,719
6	Equity Share Capital	1,510	1,510	1,510	1,510
7	Earnings Per Share (of ₹5 each) (for continuing and discontinued operations)				
	(a) Basic	51.52	56.62	49.35	243.32
	(b) Diluted	51.52	56.62	49.35	243.32

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly, year financial results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.marutisuzuki.com.

For and on behalf of Board of Directors

New Delhi
27th July, 2017

(Kenichi Ayukawa)
Managing Director & CEO